

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
यमुकद में ईव्वादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्राप्ति अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

रण संख्या :- 108/2024

पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

श्री कुमार दीक्षित पुत्र श्री सुखपाल दीक्षित जाति ब्राहमण निवासी वार्ड संख्या 2 मीरा कॉलोनी वार्ड नम्बर 4
रिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

बनाम

राजेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

पंजाब एण्ड सिन्धा बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबंधक।

तहसीलदार राजस्व संगरिया।

डिक्री

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 9.7.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू
श्री कुलदीप सिंह वकील वादी मिन जांमिन मुदई श्री गुरमीत सिंह मिन जानिब मुदायला पेश
कर दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री
दी जाती है:-

क. सं.	नाम काशतकार मय वल्लियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
1	1. राकेश कुमार दीक्षित 0.500 हि.जाति ब्राहमण निवासी मीरा कॉलोनी संगरिया राहिन पंजाब एण्ड सिन्धा बैंक शाखा संगरिया 2. राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल 0.500 हि.जाति जाट निवासी रतनपुरा	प.म. रतनपुरा के चक 4 आरटीपी के खाता संख्या 262/141 खाते का योग .1000 हैक्ट. (विवादित श्रेणी का नहीं है)	राकेश कुमार दीक्षित पुत्र सुखपाल दीक्षित जाति ब्राहमण निवासी मीरा कॉलोनी संगरिया राहिन पंजाब एण्ड सिन्धा बैंक शाखा संगरिया राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल 0.500 हि.जाति जाट निवासी रतनपुरा	प.न. 180/187 मु.न. 25 किला नं. 6/1/0.013 नहरी उतरी पासा, 6/2/0.004 गै.मु.रास्ता प.न. 181/187 मु.न. 24 का कि.नं. 10/0.253, 11/0.222 प.न. 180/187 मु.न. 25 किला नं. 6/1/0.177 दक्षिणी पासा उतरी पासा, 6/2/0.047 गै.मु. रास्ता 15/0.253 प.न. 181/187 मु.न. 24 का कि.नं. 11/0.031 दक्षिणी पासा

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है
फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित
करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है
तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1473 दिनांक 02.05.2025
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन
करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य
पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज......मुख्तिक......बावत......खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयायी तक......को अदा करे।

यसक्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.7.2025 को खुले न्यायालय में जारी
किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, एवं
उपसंगरिया
संगरिया